



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100017389/FNOC/COL/2025/1601
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 04, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Mar-25
आवेदक का नाम / LOI धारक का नाम : **PRINCIPAL DEVMATA HIGHER SECONDARY**
Applicant Name /LOI Holder : **SCHOOL NASRULLAGANJ**
आवेदक का पता /Applicant Address : **PRINCIPAL DEVMATA HIGHER SECONDARY SCHOOL**
GRAM - RALA, TEHSIL -NASRULLAGANJ 466331
अनापत्तिप्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : **Fire Safety Certificate**
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : **Educational Building/ शैक्षणिक भवन**
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर /Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल /Plot / Building Area : **4 एकड़**
सम्पत्ति का पता / Property Address : **DEVMATA HR SEC SCHOOL,**
KHASRA NO.352, 353, 354, P.H. - RALA
TEHSIL – NASRULLAGANJ 466331
SEHORE DISTRICT RURAL AREA

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित/

Approved by Fire Authority

टिप्पणी/ Remarks:

विषय:- प्राचार्य देवमाता हायर सेकेंडरी स्कूल निवासी ग्राम राला तहसील भैरूदा जिला सीहोर म.प्र. स्थल का पता (जहाँ इकाई का संचालन होगा) **देवमाता हायर सेकेंडरी स्कूल** सर्वे नंबर 352, 353, 354 ग्राम –राला तहसील भैरूदा जिला सीहोर म.प्र. के **9096** वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर निर्मित भवन एवं 10 मीटर ऊँचे **“शैक्षणिक भवन”** हेतु **“Fire Safety Certificate”** प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ: आपका रिकेस्ट नम्बर 6100017389.

विषयान्तर्गत प्राचार्य देवमाता हायर सेकेंडरी स्कूल निवासी ग्राम राला तहसील भैरूदा जिला सीहोर म.प्र. स्थल का पता (जहाँ इकाई का संचालन होगा) **देवमाता हायर सेकेंडरी स्कूल** सर्वे नंबर 352, 353, 354 ग्राम –राला तहसील भैरूदा जिला सीहोर म.प्र. के **9096** वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर निर्मित भवन एवं 10 मीटर ऊँचे **“शैक्षणिक भवन”** हेतु अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (**Fire Safety Certificate**) चाहे जाने पर अनुमोदित फायर प्लान के संदर्भ में स्थल निरीक्षण कराया गया। तदनुसार निम्नलिखित प्रावधानों/ शर्तों के तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100017389/FNOC/COL/2025/1601
आवेदन की तिथि /Application Date : Oct 04, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Mar-25
आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम : **PRINCIPAL DEVMATA HIGHER SECONDARY**
Applicant Name /LOI Holder : **SCHOOL NASRULLAGANJ**

परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा:-

1. निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा:-

1	Access.	13	Auto Detection System
2	Wet Riser	14	Manual Operated Electrical Fire Alarm system
3	Down Comer	15	P.A. System with talk back facility.
4	Hose Reel	16	Emergency Light.
5	Automatic Sprinkler System	17	Auto D.G. Set
6	Yard Hydrant	18	Illumainated Exit Sign.
7	U.G. Tank With Draw off Connection	19	Means Of Escape.
8	Terrace Tanks.	20	Compartmentation
9	Fire Pump	21	MCB/ELCB
10	Terrace Pump	22	Firman Switch in Lift
11	First Aid Fire Fighting Appliances	23	Hose Boxes With Delivery Hose and Branch
12	Pressurization System	24	Refuge Area.

(उपरोक्त में से यथा निर्देशित)

- इस कार्यालय द्वारा पूर्व में क्रमांक 6100001836/FNOC/COL/2021/0326 दिनांक 26/07/21 से फायर प्लान अप्रूवल पत्र जारी किया गया है ।
- फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
- संस्था में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स फायर फायटिंग सिस्टम हर समय ऑपरेशन/चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त फायर उपकरणों के ऑपरेशन/चालू होने का रिकॉर्ड मानकों/नियमानुसार विधिवत रखा जावे तथा भवन में कार्यरत/उपलब्ध समस्त स्टाप को भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। फायर उपकरणों का निर्धारित मानकों के अनुसार रख-रखाव किया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदक/स्वामी के भवन में नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस.मानको के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100017389/FNOC/COL/2025/1601
आवेदन की तिथि /Application Date : Oct 04, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Mar-25
आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम : **PRINCIPAL DEVMATA HIGHER SECONDARY**
Applicant Name /LOI Holder : **SCHOOL NASRULLAGANJ**

- आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एन.ओ.सी./तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा, अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- आवेदक को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई. एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- शासन के परिपत्र क्रमांक 4981/895002/2022/18-3 भोपाल दिनांक 16/12/2022 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 57/895002/2022/18-3 भोपाल दिनांक 08/01/2024 के पालन में निर्धारित Fire Safety फीस आवेदक द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत राला जनपद पंचायत भैरूदा में रसीद क्रमांक 58 दिनांक 20/02/2025 रूपये 19,192/- (उन्नीस हजार एक सौ बनवे रूपये) जमा कराई गई।
- आवेदक/स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष (03 वर्ष)" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा और यह अवधि समाप्त होने के 'दो माह पूर्व' पुनः अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून तक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट के साथ यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी अग्नि सुरक्षा उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।
- यह प्रमाण पत्र मात्र अग्नि सुरक्षा हेतु है। यह भू-उपयोग या भवन अनुज्ञा को मान्यता प्रदान नहीं करता है, और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है।
- आवेदित संस्था/भवन ग्राम पंचायत अंतर्गत निर्मित है। अतः संबंधित संस्था को आकस्मिक स्थिति के लिए अग्निशमक एवं उपकरण आदि की व्यवस्था स्वयं को करना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "Fire Safety Certificate" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Digitally signed
by Balaguru K
Date:
2025.03.12
16:01:50
+05'30'
कलेक्टर
Collector
जिला सीहोर मध्यप्रदेश
District Sehore, Madhya Pradesh